(189) (1)

(2)

उत्तरांचल शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्या: 890 / XXIV(6) / 2005
देहरादून दिनॉक : 18 नवम्बर, 2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के लिए कुलपति के अस्थायी पद दिनॉक 1–1–1996 से संशोधित वेतनमानों के अनुसार रु0 25,000/–प्रति माह नियत वेतन पर (राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को देय अन्य भत्ते सहित) दिनॉक 28 फरवरी,2006 तक के लिए सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा प्रदान की जाती है। पद धारक को अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के समान सुविधायें एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगें।

2– इस पद के सृजन पर होने वाला व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता –07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय –20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 219/ XXVII(3)/2005 दिनॉक 18 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

एस0के0माहेश्वरी
अपर सचिव।

संख्या– 890 (1)/XXIV(6)/2005 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) सचिव,महामहिम कुलाधिपति,उत्तरांचल।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन।
(3) निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी–नैनीताल।
(4) निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल,देहरादून।
(5) निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(6) वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0 पी0पाटनी)
अनु सचिव।

(2)
(188)

उत्तरॉचल शासन (5)
शिक्षा अनुभाग–6
संख्याः 02 / XXIV(6) / 2006
देहरादून दिनॉक : 13 जनवरी, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी(नैनीताल) की स्थापना होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के लिए कुलसचिव का एक अस्थायी पद वेतनमान रु0 3200–100–3500–125–4875 (जिसका 1–1–1996 से वेतन पुनरीक्षित होना है) में शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनॉक 28 फरवरी, 2006 तक के लिए इस शर्त के साथ कि बशर्ते कि उक्त पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं। पद धारक को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिव के समान अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होंगें।

2– इस पद के सृजन पर होने वाला व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता –07– राज्य मुक्त विश्वविद्यालय –20– सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–595 / XXVII(3) / 2006 दिनॉक 13 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

एस0के0माहेश्वरी
अपर सचिव।

संख्या– 02 (1) / XXIV(6) / 2005 तद्‌दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार,उत्तरांचल।
(2) कुलपति,उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी–नैनीताल।
(3) निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी–नैनीताल।
(4) निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल,देहरादून।
(5) निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
(6) कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(14)

संख्या– 02 /XXIV(6)/2006

प्रेषक,

एस0के0माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी–नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनॉक: 03 जून, 2006

विषयः– उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के लिए पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रॉकःयू0ओ0यू0/प्रशासन 16/2005–2006 दिनॉक 6–2–2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के संचालन हेतु निम्नांकित पदों को नियुक्ति होने अथवा शासनादेश निर्गत होने की तिथि जो भी बाद में हो से 28 फरवरी,2007 तक के लिए सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जांयः–

क.स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	आचार्य–अंग्रेज़ी,हिन्दी,उर्दू,अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान,लोक प्रशासन, समाजशास्त्र,इतिहास,शिक्षा शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस,होटल मैनेजमैन्ट, टूरिज्म स्टडीज,प्रबन्ध अध्ययन तथा वाणिज्य	16400–22400	14
2.	प्रवक्ता– अंग्रेज़ी,हिन्दी,उर्दू,अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान,लोक प्रशासन, समाजशास्त्र,इतिहास,शिक्षा शास्त्र,–02	8000–13500	28

3.	प्रशासकीय पद परीक्षा नियन्त्रक	16400–22400	01
4.	उप कुल सचिव– प्रशासन,वित्त तथा परीक्षा	2350–4300 पुराना वेतनमान	01
5.	सहायक कुल सचिव	6500–10500	03
	योग		47 पद

2– चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

3– उचित होगा कि चयन से पूर्व परिनियमावली तैयार करा ली जाय यदि परिनियमावली तत्काल तैयार किया जाना सम्भव नहीं है तो चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मार्ग दर्शीय सिद्धान्त तैयार कराकर शासन से अनुमोदन लिया जाना होगा।

4– पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय,नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाय जब विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानको का भी अनुपालन किया जाना होगा।

5– उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–188 /XXVII(3) 2006 दिनॉक 26 मई,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

185 8

18

संख्या– 02/XXIV(6)/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) वित्त अधिकारी,उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी।
(2) कोषाधिकारी,हल्द्वानी।
(3) वित्त अनुभाग–3 ।
(3) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(के0पी0पाटनी)
अनु सचिव।

संख्या: 18 /XXIV(6)/2010

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग—6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनाँक 22 जनवरी, 2010

विषयः— उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आमंत्रित करने एवं कर्मचारियों की व्यवस्था Outsourcing उपनल के माध्यम से करने की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: वी.सी.एस./2009—10/3361 दिनांक: 16.12.
2009 एवं संख्या: वी.सी.एस./2009—10/3392 दिनांक: 21.12.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट
करें, जिसमें आपके द्वारा विभिन्न संवर्ग में 30 कर्मचारियों को Outsourcing के माध्यम से आमंत्रित
करने एवं विश्वविद्यालय के सृजित 05 प्रशासनिक पदों— कुलसचिव, उपकुलसचिव तथा सहायक
कुलसचिव के सापेक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के विभिन्न प्रति[illegible]नों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक
विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में सृजित 05 प्रशासनिक पदों— क्रमशः कुलसचिव, उपकुलसचिव तथा
सहायक कुलसचिव के सापेक्ष न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत —03 पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम
से प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करने एवं विभिन्न संवर्ग में Outsourcing के माध्यम से वांछित
30 कर्मचारियों में से गार्ड—06, चपरासी—04 स्वच्छकार—01 कुल—11 कर्मचारियों की व्यवस्था
Outsourcing / उपनल के माध्यम से करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3— कृपया नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत
कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 13 /XXIV(6)/2010

प्रेषकः

राधिका झा,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांकः 22 मार्च, 2010

विषयः– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु सृजित पदों को अन्य विषयों में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या–यू0ओ0यू0/वीसीएस/171/09–2010/3596 दिनांक 29.01.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु शासनादेश संख्याः–02/XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 द्वारा सृजित आचार्य के कालम–2 पर उल्लिखित में 14 पदों में से कालम–3 पर उल्लिखित विषयों में 06 पद एवं कालम–2 पर उल्लिखित प्रवक्ता के 28 पदों में से कालम–3 पर उल्लिखित विषयों में 12 पदों को परिवर्तित किये जाने की दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते है कि यह पद इसके पूर्व बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

i– आचार्य के सृजित 14 पदों में से 06 पदों को परिवर्तित किये जाने हेतु तालिका निम्नवत् है:–

S. N.	Professors Post Sanctioned in the Subject	No of post	Balance Post to be Re-appropriated in the New Subject for Professor as mentioned in the table	Sanctioned Balance Post After Advertise ment in Each Subject in the table
	1	2	3	4
1-	Hindi	01	Resource Management	01
2-	Urdu	01	Journalism/Mass Communication	01
3-	Economics	01	Electronic Engineering	01
4-	Political Science	01	Agricultural	01
5-	Public Administration	01	Forestry	01
6-	Sociology	01	Nursing	01
7-	English	01		
8-	History	01		
9	Hotel Management	01		
10	Commerce	01		
11	Tourism Studys	01		
12	Management	01		
13	Computer Scince	01		

14	Education	01		
	Total	14		06

ii– प्रवक्ता के कुल सृजित 28 पदों में से 12 पदों को परिवर्तित किये जाने हेतु तालिका निम्नवत् है:–

S. N.	Professors Post Sanctioned in the Subject	No of Post	Balance Post to be Re-appropriated in the New Subject for Professor as mentioned in the table	Sanctioned Balance Post After Advertise ment in Each Subject in the table
		2	3	4
1	English	02	Resource Management	01
2	Hindi	02	Journalism/Mass Communication	01
3	Urdu	02	1-Electronic Engineering 2- Agricultural	02
4	Economics	02	Forestry	01
5	Political Science	02	Ayurvedic	01
6	Public Administration	02	1-Nursing 2-Phermacy	02
7	Sociology	02	Library Science	01
8	History	02	Physics	01
9	Education	02		
10	Computer Science	02		
11	Hotel Management	02	Sanskrit	01
12	Tourism Studys	02		
13	Management	02		
14	Commerce	02	Chemistry	01
	TOTAL POST	28		12

2– चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाना होगा।

3– उक्त पदों पर चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चयन प्रकिया के सम्बन्ध में यदि कोइ कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

4– उक्त प्रस्तावित पाठ्यकमों के मान्यता के सम्बन्ध में ए0आई0सी0टी0ई0 एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया से शीघ्र मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त उक्त पाठ्यकमों में फैकल्टी आदि का चयन किया जायेगा।

5– दूरस्थ शिक्षा द्वारा जो अन्य नॉनवोकेशनल कोर्सेज चलाये जा रहे हैं, उनकी समीक्षा कर ली जाय कि उनमें इनरोलमेन्ट/इन्टैक की क्या स्थिति है तथा कोर्सेज संतोषजनक रूप में चलाये जा रहे के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जायेगा।

6– तालिका–1 एवं 2 पर उल्लिखित पदों को परिवर्तित किये जाने का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय, नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाय जब विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का

(182)

अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानको का भी अनुपालन किया जाना होगा।

7— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2009—10 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102— विश्वविद्यालयों को सहायता—07—राज्य मुक्त विश्वविद्यालय—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

8— तालिका—1 एवं 2 में उल्लिखित परिवर्तित पदों के मांग उक्त के कालम—1 के विषयों हेतु भविष्य में विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जायेगी।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—887(P)XXVII(3)/2009—10 दिनांक 15 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(राधिका झा)
अपर सचिव

संख्या:— 13 /XXIV(6)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
(2) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
(3) जिला अधिकारी, नैनीताल
(4) वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(5) कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
(6) वित्त अनुभाग—3 एवं शिक्षा अनुभाग—4।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0 शाह)
उप सचिव

स्पीड पोस्ट/फैक्स से

संख्या : 13/XXIV(6)/2010

प्रेषक,

राधिका झा,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 6 जुलाई, 2010

विषय : विश्वविद्यालय के अत्यावश्यक कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित किए जाने हेतु अस्थाई व्यवस्थान्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या : यूओयू/वीसी/ओएसडी/28 दिनांक 22 जून 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर वर्ग के विभिन्न संवर्गो में कुल 38 पदों को आउट सोर्स से भरे जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया है ।

2– उक्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षणोपरांत विश्वविद्यालय हेतु विभिन्न संवर्गो में पदों के सृजन एवं नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, विश्वविद्यालय के अत्यावश्यक कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित किए जाने हेतु अस्थाई व्यवस्थान्तर्गत निम्नांकित पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भरे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	01	–
2.	अस्सिटेंट प्रोग्रामर	01	–
3.	वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर	01	–
4.	कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनो	02	–
5.	कम्प्यूटर लिट्रेट एकाउंटेंट	02	
[illegible]	कम्प्यूटर लिट्रेट [illegible]	10	

	कोआर्डिनेटर	08	—
	कम्प्यूटर लिट्रेट पी०ए०	02	—
11	इलैक्ट्रीशियन	01	—
12	ड्राइवर	01	विश्वविद्यालय में शासकीय वाहन उपलब्ध होने पर ।
13	लैब असिस्टेंट	01	—
14	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	—
	योग :	37	

3— उक्त पद पूर्व में शासनादेश संख्या : 13/xxiv(6)/2010 दिनांक 22,जनवरी 2010 द्वारा आउट सोर्स के माध्यम से स्वीकृत कुल 11 पदों (गार्ड–06,चपरासी–04, स्वच्छकार–01) के अतिरिक्त होंगे।

4— उक्त के सापेक्ष आने वाला व्यय अनुदान संख्या 11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनेत्तर–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 142(P)/XXVII(3)/ 2010 दिनॉक 01,जुलाई–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(राधिका झा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या : /XXIV(6)/2010 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. कोषाधिकारी, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
2. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(पी०एल० शाह)
[illegible]

(179) (4)

संख्या– 53/XXIV(6)/2011

प्रेषक:

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांक: 2 फरवरी, 2011

विषय:– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु विभिन्न पदों के सृजन, प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/वीसी/ओ0एस0डी0/164 दिनांक 08.10.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न संवर्गो के कुल 17 पदों दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	स्वीकृत पदों का विवरण	पदों की संख्या	पे बैन्ड (रूपये में)	ग्रेड पे (रूपये में)
1.	वित्त अधिकारी	01	15600–39100	5400
2.	सहायक क्षेत्रीय निदेशक	08	15600–39100	6000
3.	वैयक्तिक सहायक (कुलपति कार्यालय)	01	9300–34800	4200
4.	आशुलिपिक ग्रेड–1(कुलसचिव कार्यालय)	01	9300–34800	2800
5.	लेखाकार	01	9300–34800	4200
6.	सहायक लेखाकार	02	5200–20200	2800
7.	कैशियर	01	5200–20200	2000
8.	सहायक स्टोर कीपर	01	5200–20200	1900
9.	क्रय सहायक	01	5200–20200	1900
	कुल योग	17		

2– विश्वविद्यालय हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न संवर्गो के प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर भरे जाने वाले कुल 17 पदों के सृजन तथा इन्हें नियमानुसार 01 वर्ष के लिए भरे जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	स्वीकृत पदों का विवरण	पदों की संख्या	पे बैन्ड	ग्रेड पे
				6600

2.	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	01	15600–39100	5400
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	15600–39100	5400
4.	हार्डवेयर इंजीनियर	02	15600–39100	5400
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	15600–39100	5400
6.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	01	9300–34800	4200
7.	प्रवर सहायक	02	5200–20200	2400
8.	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	1900
9.	आशुलिपिक ग्रेड–1	03	5200–20200	2800
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	5200–20200	1900
	कुल योग	17		

3– उक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न संवर्गों के कुल 29 पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से 01 वर्ष के लिए भरे जाने की श्री महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	स्वीकृत पदों का विवरण	पदों की संख्या
1.	पुस्तकालय क्लर्क	01
2.	कम्प्यूटर टाईपिस्ट	01
3.	क्लर्क कम टाईपिस्ट	11
4.	कैटलागर्स	02
5.	ड्राईवर	02
6.	अनुसेवक	04
7.	स्टोर मेट	01
8.	बुक लिफ्टर	01
9.	प्लम्बर	01
10.	हेल्पर	01
11.	माली	01
12.	स्वच्छक	01
13.	चौकीदार	02
	कुल योग	29

4– उक्त तालिका के कमांक–9, 10, एवं 11 पर उल्लिखित पलम्बर–01, हैल्पर–01 तथा माली–01 पद के कार्य के लिए प्रतिदिन एक–एक व्यक्ति की सेवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से तभी प्राप्त की जायेगी, जब उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्याल.य का अपना स्थाई कैंम्पस स्थापित हो जायेगा।

5– नियमित चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

6– उक्त पदों पर चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चयन प्रकिया के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7– प्रतिनियुक्ति / संविदा / आउट सोर्सिंग पर भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष शासन से अनुमति प्रदान की जायेगी। तालिका–1 के कमांक–2 का पद असिस्टेन्ट प्रोफेसर से प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा।

8– उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102– विश्वविद्यालयों को सहायता–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 337 (पी) / xxvii(3) / 2011 02 फरवरी–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्याः– — / XXIV(6) / 2011 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
(2) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / जिलाधिकारी, नैनीताल।
(3) कुल सचिव / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(4) कोषाधिकारी, हल्द्वानी / उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
(5) वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
(6) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव।

संख्या – /XXIV(6)/2011

प्रेषक:

आर0 के0 सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6

देहरादून दिनांक: 11अगस्त, 2011

विषय:– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी हेतु सृजित पदों को अन्य विषयों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या:–यू0ओ0यू0/आर–1/217/2010 दिनांक 15.11.2010, पत्र संख्या:–यूओयू/आर–1/221/2011/10571 दिनांक 09 मई, 2011 तथा पत्र संख्या:–यूओयू/आर–1/217/2011/11323 दिनांक 10 जून, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 10 पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2012 तक,बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, को निम्नांकित कतिपय शर्तों के अधीन परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आचार्य के विभिन्न विषयों के 05 पदों को परिवर्तित किये जाने हेतु तालिका निम्नवत् है :–

S.N.	Subject	No. of Post	Proposed Change	No. of Post
1.	Resource Management	01	Post to be Changed to Law	01
2.	Electronic Engineering	01	Post to be Changed to Mechanical Engineering	01
3.	Forestry	01	Post to be Changed to Sociology	01
4.	Nursing	01	Post to be Changed to Education	01
5.	Tourism Studies	01	Post to be Changed to Political Science	01
	Total	05		05

(2) प्रवक्ता के विभिन्न विषयों के 07 पदों में से 05 पदों को परिवर्तित किये जाने हेतु तालिका निम्नवत् है :–

S. N.	Subject	No. of Post	Proposed Change	No. of Post
1.	Resource Management	01	Post be Changed to Y...	

2.	Electronic Engineering	01	Post be Changed to Education	01
3.	Nursing	01	Post be Changed to Jyotish	01
4.	Tourism Studies	02	Post to be Changed to MSW	01
5.	Computer Science	02	Post to be Changed to Education	01
	Total	07		05

शर्ते :–

(1) परिवर्तित विषयों में पर्याप्त संख्या में छात्र/छात्राओं के प्रवेश लिये जाने पर ही आगामी वर्षो हेतु पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने की शासन स्तर से अनुमति प्रदान की जायेगी, जिस परिवर्तित विषय में पर्याप्त संख्या में छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु उपलब्ध नहीं होंगे तब तक उस विषय को संचालित नहीं किया जायेगा।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये, कि परिवर्तित विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/दूरस्थ शिक्षा परिषद् भारत सरकार/संवैधानिक संस्थाओं से अनुमोदित हों ।

2– नियमित चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

3– उक्त परिवर्तित पदों पर चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चयन प्रकिया के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4– उक्त प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही उक्त पाठ्यक्रमों में फैकल्टी आदि का चयन किया जायेगा ।

5– तालिका–1 व 2 पर उल्लिखित् विषयों को परिवर्तित किये जाने का यह आशय नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाये, नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाय जब विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन में संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन तथा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– शासनादेश संख्या–02/XXIV(6)/2006 दिनांकः 03 जुलाई, 2006 द्वारा सृजित एवं शासनादेश संख्या–13/XXIV(6)/2010 दिनांकः 22 मार्च, 2010 द्वारा परिवर्तित सृजित आचार्य एवं प्रवक्ता के जिन पदों को इस शासनादेश द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, उन्हें विश्वविद्यालय हेतु भविष्य में कदापि सृजित नहीं किया जायेगा।

7– उक्त परिवर्तित पदों पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102– विश्वविद्यालयों को सहायता–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:–124(पी)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 27 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0 के0 सुधांशु,)
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),

संख्या:– 53/XXIV(6)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
(2) आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/जिलाधिकारी, नैनीताल।
(3) कुल सचिव/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(4) कोषाधिकारी, हल्द्वानी/उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी नैनीताल।
(5) वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
(6) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव।

संख्याः — /XXIV(6)/2014

प्रेषकः

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः08 ~~जनवरी,~~ फरवरी 2014

विषयः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु फार्मेसी विषय के लिए सृजित सहायक प्राध्यापक के पद को जनसंपर्क अधिकारी पद में परिवर्तित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–यू0ओ0यू0/वीसीएस/06/957 दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु शासनादेश दिनांक संख्याः 02/XXIV(6)/2006 दिनांकः 03 जुलाई, 2006 द्वारा सृजित एवं शासनादेश संख्याः13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010 द्वारा लोक प्रशासन से फार्मेसी में परिवर्तित प्रवक्ता (वर्तमान पदनाम सहायक प्राध्यापक) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6000 के एक पद को श्री राज्यपाल महोदय जनसंपर्क अधिकारी वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 5400 में परिवर्तित किये जाने की दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, बशर्ते है कि यह पद इसके पूर्व बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2– उक्त परिवर्तित कराए गए फार्मेसी पद की भविष्य में कदापि मांग नहीं की जाएगी, और न ही विश्वविद्यालय हेतु उक्त वर्णित पद को सृजित किया जाएगा।

3– शासनादेश संख्या–13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त वर्णित शासनादेश की अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–98/(P)XXVII(7)/2014 दिनांक 30 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या–18/(2)/XXIV(6)/2014 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7. वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

संख्या: 1041/XXIV(6)/2014/24(1)13 (19)

प्रेषक,

डॉ0 उमाकांत पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून: दिनॉक: 15 जुलाई 2014

विषयः– उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 12(बी) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु शैक्षिक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–यूओयू/वी0सी0/04/974 दिनांक: 20.8.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यू0जी0सी0की 12(बी) में विश्वविद्यालय का पंजीकरण कर केन्द्रीय अनुदान प्राप्त किए जाने हेतु मानको के आलोक में सह–प्राध्यापक (Associate Professor) एवं सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) के पदों को सृजित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु विभिन्न शाखाओं/विभागों में निम्नांकित तालिकाबद्ध शैक्षिक संवर्ग में पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में दिनांक 28.2.2015 तक बशर्ते कि उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

Name of School/Deparment	पदनाम	वेतनमान/ग्रेड पे रूपयेमें	पद
School of Agriculture & Development Studies	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of education	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of computer Science and IT	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of Journalism & Media Studies	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of Management Studies and Commerce	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of Sciences	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	02
School of Humanities	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	01
School of social Sciences	एसोसिएट प्रोफेसर	15600–39100/8000	02
School of Law (New School)	सहायक प्राध्यापक	15600–39100/6000	01
School of Sciences	सहायक प्राध्यापक	15600–39100/6000	02
School of social Sciences	सहायक प्राध्यापक	15600–39100/6000	02
School of Vocational Studies	सहायक प्राध्यापक	15600–39100/6000	01
School of Library & Information Sciences (New School)	सहायक प्राध्यापक	15600–39100/6000	01
		कुल–	17

3– पदों के चयन के संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

4— उक्त शैक्षिक पदो के चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अर्हताओं तथा सेवा शर्तें एवं चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम/परिनियमावली में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पदों का दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये किया जाय।

5— पदों के सृजन का आशय यह नही है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाय, पदों पर चयन/नियुक्ति प्रक्रिया तभी प्रारम्भ की जाय, जब प्रस्तावित विभाग/स्कूल में विषय संचालित करने हेतु पर्याप्त संख्या में छात्रों का प्रवेश उपलब्ध हो, न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ही शैक्षिक पद भरे जायें।

6— उक्त विभाग/स्कूल के संचालन के लिए सांविधिक संस्थाओं की अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) अवश्यमेव प्राप्त कर लिया गया हो। इस संबंध में संबंधित सांविधिक संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7— इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित उक्त विभागों के निकट भविष्य में निरन्तर बने रहने की संभावना की समीक्षा करायी जायेगी। साथ ही उक्त विभागों में सृजित पदों का विषय परिवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जाएगा।

8— नये पदो के सृजन/ढाचें, नई नीति–निर्धारण या वर्तमान नीति में संशोधन, निधियों का गठन नियमावलियॉं अथवा जिन पदो के निरन्तर रिक्त रहने की संभावना हो आदि से संबंधित सूचना/प्रकरण शासन को प्रेषित किए जाएं, ताकि संबंधित विभागों के परामर्श से अनुमोदन प्रदान किया जा सके।

9— उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय–भार वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त–विभाग के अशासकीय संख्या:–32(NP)/XXVII(3)/2014-2015 दिनांक: 02 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
सचिव

संख्या:– /XXIV(6)2014/24(1)13 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सयुंक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
6. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।

(18)

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

संख्या–1072/XXIV(6)/2014–24(1)/2013

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2014

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या–1041/चौबीस(6)/2014–24(1)2013 दिनांक 15 जुलाई, 2014 में अंकित एसोसिएट प्रोफेसर के वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 8000 को वेतनमान ₹ 37400–67000 ए0जी0पी0 ₹ 9000 पढ़ा जाय।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 15 जुलाई, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– (1)/चौबीस (6)/2014–24(1)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
3– कुलपति/कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4– महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
7– निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–3 एवं 07, उत्तराखण्ड शासन।
10– गार्ड फाईल।

VC/134
21/8/14

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव

Prof. Subhash Dhuliya
Vice Chancellor
21/8

Reg.
21/08/2014

R1/264
22/8/14

संख्याः 1453/XXIV(6)288/2013

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांकः 21/ नवम्बर, 2015

विषयः सहायक क्षेत्रीय निदेशक वेतनमान (15600–39100 ग्रेडपे–6000) से वेतनमान (15600–39100 ग्रेडपे–5400) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः यू0ओ0यू0 आर–3/ ए0आर0डी0/ 2015/9648 दिनांक 05–11–2015 के सन्दर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्याः 53/xxxiv 6/2011 दिनांक 02 फरवरी 2011 द्वारा सहायक क्षेत्रीय निदेशक, (15600–39100 ग्रेडपे– 6000) में 08 पदों का सृजन किया गया था, उक्त पदों पर सहायक प्राध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की गई। उक्त पदों पर समान वेतनमान होने के फलस्वरूप अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद रिक्त हैं जिससे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक निर्णयोपरान्त सहायक क्षेत्रीय निदेशक, वेतनमान के (15600–39100 ग्रेडपे– 6000) से वेतनमान (15600–39100 ग्रेडपे–5400) में परिवर्तित किये जाने की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय नियमावली के परिनियम 35 (9) के अधीन नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। इस सम्बन्ध में परिनियम में यथास्थिति यथोचित संशोधन कर लिया जायेगा।

(2) उक्त शासनादेश संख्याः 53/xxxiv(6)/2011 दिनांक 02 फरवरी 2011 में अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या: 895/XXVii (7)/2015 दिनांक: 21-11-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXIV(6)288/2013 दिनांक: उक्तांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

2– आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल/जिलाधिकारी, नैनीताल।

3– निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल

4– कुलसचिव/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी।

5– वरिष्ठ कोषाधिकरी, नैनीताल।

6– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।

7– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय प्रशासन।

8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

224R1

संख्याः 1497 / XXIV(6)/2015-13/12

Sh. M.C. Joshi
for n.a. under discussion
with undersigned.
06/1/16

प्रेषक:

डा0एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग--6 देहरादूनः दिनॉक 31 दिसम्बर, 2015

विषयः-- **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आउट सोर्सिंग के माध्यम से सृजित 12 पदों को समाप्त करते हुए उनके स्थान पर नियमित पद सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः UOU/R3/Estt/18/का/2015/7289 दिनांकः 6.5.2015, पत्र संख्याः UOU/R3/Estt/50/का/2015/9647 दिनांक 5.11.2015 तथा पत्र संख्याः UOU/R1/Estt/18/का/2015/9820 दिनांकः 08.12.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु आउटसोर्सिंग के आधार पर विभिन्न उल्लिखित शासनादेशों द्वारा सृजित निम्न 12 रिक्त पदों को समाप्त करते हुए इनके स्थान पर अस्थायी नियमित पद दिनांक 29 फरवरी 2016 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, को सृजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

क्र0 सं0	स्वीकृत पदों का विवरण	शासनादेश संख्या जिसके द्वारा पत्र सृजित किये गये थे	पदों की संख्या	पे बैण्ड (रूपयें)	ग्रेड पे (रूपयें)
1.	कनिष्ठ सहायक	13/XXIV(6)/2010 दिनांक 6 जुलाई 2010 एवं 53/XXIV(6)/2011 दिनांक 2 फरवरी 2011	12	5200--20200	2000
	कुल योग		12		

क्रमशः 2

2— उक्त पदों का चयन विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित / निर्धारित, प्रकिया / नियमों प्राविधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों के अर्न्तगत किया जायेगा।

3— नियमित चयन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

4— शासनादेश संख्या–13 / XXIV(6) / 2010 दिनांक 6 जुलाई 2010 एवं शासनादेश संख्या–53 / XXIV(6) / 2011 दिनांक 2 फरवरी, 2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5— यह आदेश **वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 973** / XXVII (7) / 2015–16 दिनांक 28.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0एम0सी0 जोशी)
सचिव

<u>संख्या: 1497 / XXIV(6)/2015-133/12 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
(3) जिलाधिकारी, नैनीताल।
(4) कुल सचिव / वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
(5) कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
(6) उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय, हल्द्वानी,
(7) वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
(8) निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या : 983/**XXIV**(6)/2016–133/2012

प्रेषक,

एस० रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

आवि०७१७ कुलसचिव 16/11/16

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) **देहरादून, दिनांकः 10 नवम्बर, 2016**

विषयः– **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के पदों के सृजन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–UOU/R-1/Estt/18/का./2016/479 दिनांक 12.09.2016 एवं पत्र संख्या–UOU/R-3/Post/217/2016/259 दिनांक 07.10.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु निम्न तालिका में उल्लिखित विभिन्न संवर्गों के कुल–13 अस्थायी नियमित पद दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय का सृजन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	स्वीकृत पदों का विवरण	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कनिष्ठ सहायक	06	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–2000
2.	ड्राईवर	03	रू0 5200–20200 ग्रेड पे–1900
3.	चतुर्थ श्रेणी	04	आउटसोर्स
	कुल योग	13	

2– उक्त पदों पर चयन/विनियमितीकरण विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित/निर्धारित प्रकिया/नियमों प्राविधानों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत किया जाएगा।

3– विश्वविद्यालय में विभागीय वाहन की उपलब्धता की दशा में ही वाहन चालक के पद सृजित होंगे।

4– नियमिति चयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

5— उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप पूर्व में सृजित नियत वेतन के पदों को समाप्त समझा जायेगा।

6— कम संख्या—2 एवं 3 पर उल्लिखित पद इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत किये जाते है कि इनके विनियमित होने के फलस्वरूप सृजित होने वाले पद त्याग—पत्र, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने की दशा में स्वतः समाप्त हो जाऐंगे।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—133(P)/XXVII(3)/2015—16 दिनांक 04.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस० रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या— —(1)/XXIV(6)/2016-133/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
7. वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय प्रशासन।
9. गार्ड फाईल।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 1202 / XXIV(6) / 2016–01(44) / 2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांकः 01 दिसम्बर, 2016

विषयः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–UOU/R3/Post/217/2010/283 दिनांक 26.10.2016 एवं संख्याः–UOU/R3/Post/217/2010/v/307/2375 दिनांक 23.11.216 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर संवर्ग में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का शासनादेश निर्गत होने की तिथि, से 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएः–

क. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	शोध अधिकारी	03	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
2.	सहायक निदेशक, कम्पयूटर आई0टी0	04	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
3.	सहायक कुलसचिव	03	9300–34800 ग्रेड वेतन 4200
4.	कनिष्ट सहायक	07	5200–34800 ग्रेड वेतन 2000
	कुल शिक्षणेत्तर पद–	**17**	

2– उक्त के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

3– पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की प्रकिया तभी प्रारम्भ की जाए जब उक्त विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या—169(P)XXVII(3)-2016-17 दिनांक 01.12.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः— —— (1)/XXIV(6)/2016—01(44)/2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
(3) जिलाधिकारी, नैनीताल।
(4) कुलपति/वित्त नियंत्रक, मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(6) उच्च शिक्षा अनुभाग—7/वित्त अनुभाग—3 एवं 7
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: 1201 / XXIV(6) / 2016–01(43) / 2016

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनांक: 01 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2016

विषयः उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु शैक्षिक पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–UOU/R3/Post/217/2010/282 दिनांक 26.10.2016 एवं संख्याः–UOU/R3/Post/217/2010/v/306/2366 दिनांक 23.11.216 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों के सृजन की निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों का शासनादेश निर्गत होने की तिथि, से 28 फरवरी, 2017 तक के लिए सृजित करने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएंः–

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	रसायन विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	02	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
2.	भौतिक विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	02	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
3.	योग	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
4.	वाणिज्य	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
5.	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
6.	संगीत	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
7.	गृह विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
8.	उर्दू	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
9.	गणित	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
10.	बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा)	सहायक प्राध्यापक	01	15600–39100 ग्रेड वेतन 6000
		कुल योग–	12	

2– उक्त के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही विश्वविद्यालय के सेवा नियम/परिनियम/संगत नियमों के अनुसार की जायेगी एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।

...पदों के सृजन का आशय यह नहीं है कि तत्काल नियुक्ति कर ली जाए, नियुक्ति की ...क्रिया तभी प्रारम्भ की जाए जब उक्त विषय संचालित किया जाना आवश्यक हो तथा उसके संचालन के लिए संवैधानिक संस्थाओं का अनुमोदन (यदि आवश्यक हो) प्राप्त कर लिया गया हो। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाओं के मानकों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या—168(P)XXVII(3)-2016-17 दिनांक 01.12.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः— (1)/XXIV(6)/2016—01(43)/2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
(3) जिलाधिकारी, नैनीताल।
(4) कुलपति/वित्त नियंत्रक, मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
(6) उच्च शिक्षा अनुभाग—7/वित्त अनुभाग—3 एवं 7
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–540/XXIV(6)/2019–01(08)/2012

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Please put up.

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

Estt; SB

कुलसचिव 17/8/19

4567 17/8/19

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

देहरादून, दिनॉक 7 ~~जुलाई~~ अगस्त,2019

विषयः– विश्वविद्यालय हेतु शासनादेश संख्या–53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02.02.2011 द्वारा संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पूरित किये जाने हेतु सृजित 17 पदों को नियमित (अस्थाई) पदों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/आर–3/पोस्ट/217/VI/2019/1789, दिनांक 05.01.2019 एवं पत्र संख्या–यू0ओ0यू0/आर–1/Selection N.T./26/810, दिनांक 15.02.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02.02.2011 द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हेतु संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पूरित करने हेतु सृजित कुल 17 पदों की प्रकृति संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सीधी भर्ती/पदोन्नति (नियमित चयन) से भरे जायेगें:–

क0सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन	सृजित पदों की संख्या
1.	सिस्टम मैनेजर	15600–39100/6600	01
2.	नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	15600–39100/5400	01
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	15600–39100/5400	02
4.	हार्डवेयर इंजीनियर	15600–39100/5400	02
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	15600–39100/5400	01
6.	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	9300–34800/4200	01
7.	प्रवर सहायक	5200–20200/2400	02
8.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200/1900	02
9.	आशुलिपिक ग्रेड–1	5200–20200/2800	03
10.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200–20200/1900	02
कुल योग			**17**

2. इस सम्बन्ध में पद सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02.02.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं अन्य शर्ते शासनादेश संख्या–53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02.02.2011 के अनुसार यथावत रहेंगी।

3. उक्त पदों पर नियुक्ति, वर्तमान में लागू यू0जी0सी0 के विनियमों व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताओं, आरक्षण की व्यवस्था आदि, के अन्तर्गत ही की जायेगी।

क्रमशः2

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–13(म0)XXVII(3)/19, दिनांक 17.05.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– —— (1)/XXIV(6)/ 2019-01(08)/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 489 / XXIV(6)/2019–01(06) / 2018

कुलसचिव 12/9/19

Entt.

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून, दिनांक 11 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2019

विषयः– विश्वविद्यालय हेतु सृजित आचार्य, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद को आचार्य, भूगर्भ विज्ञान में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–UOU/R3/post/217/2018/VI/2195 दिनांक 15.02.2019 एवं कुलपति के पत्र संख्या–UOU/VC/07/436 दिनांक 17.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–53 / XXIV(6) / 2011, दिनांक 11.08.2011 द्वारा सृजित / परिवर्तित आचार्य, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 01 रिक्त पद को आचार्य, भूगर्भ विज्ञान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवर्तित किए जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. भविष्य में उक्त परिवर्तित किये जा रहे पद को पुनः अन्य विषयों हेतु परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

2. परिवर्तित विषय में पर्याप्त संख्या में छात्र / छात्राओं के प्रवेश लिये जाने पर ही आगामी वर्षों हेतु पाठ्यक्रम को संचालित किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि परिवर्तित विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / दूरस्थ शिक्षा परिषद् भारत सरकार / संवैधानिक संस्थाओं से अनुमोदित हों। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम संचालित किया जाय।

4. नियमित चयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

5. उक्त परिवर्तित पद पर नियुक्ति संविदा / अस्थायी व्यवस्था के आधार पर न करके नई नियुक्ति के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी तथा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमनों, विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4871 12/9/19

6. उक्त पद की निरन्तरता दिनांक 29.02.2020 तक, बशर्ते कि उक्त पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, प्रदान की जाती है।

क्रमशः2:

7. उक्त परिवर्तित पद पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2019—20 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा, 03—विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, 102—विश्वविद्यालयों को सहायता, 07—राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—63(म0)XXVII(3)/ई/19, दिनांक 21.08.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
प्रभारी सचिव।

संख्या— (1)/XXIV(6)/ 2019-01(06)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—3 एवं वित्त अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–576/XXIV-C-1/2020–01(06)/2018

प्रेषक,

एम०एम० सेमवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 06 अक्टूबर, 2020

विषयः– विश्वविद्यालय हेतु सृजित आचार्य, कृषि के पद को आचार्य, भौतिक विज्ञान में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–UOU/R3/post/217/2010/VI/3087 दिनांक 12.07.2019, पत्र संख्या–UOU/R3/post/217/2010/VII/3943, दिनांक 12.12.2019 एवं उप कुलसचिव के पत्र संख्या–UOU/R3/post/217/2010/VII/84, दिनांक 23.07.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–13/XXIV(6)/2010, दिनांक 22.03.2010 द्वारा सृजित/परिवर्तित आचार्य, कृषि के रिक्त पद को आचार्य, भौतिक विज्ञान में निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिवर्तित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. भविष्य में उक्त परिवर्तित किये जा रहे पद को पुनः अन्य विषयों हेतु परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

2. परिवर्तित विषय में पर्याप्त संख्या में छात्र/छात्राओं के प्रवेश लिये जाने पर ही आगामी वर्षों हेतु पाठ्यक्रम को संचालित किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि परिवर्तित विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ दूरस्थ शिक्षा परिषद् भारत सरकार/संवैधानिक संस्थाओं से अनुमोदित हों। इस हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही पाठ्यक्रम संचालित किया जाय।

4. नियमित चयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा।

5. उक्त परिवर्तित पद पर नियुक्ति संविदा/अस्थायी व्यवस्था के आधार पर न करके सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति प्रदान की जायेगी तथा चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमनों, विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो इसके लिए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. उक्त पद की निरन्तरता दिनांक 28.02.2021 तक, बशर्ते कि उक्त पद को बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पूर्व समाप्त न कर दिया जाय, प्रदान की जाती है।

क्रमशः...2

7. उक्त परिवर्तित पद पर होने वाला व्यय भार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 07–राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–652 / xxvii(7) / 2020, दिनांक 17.09.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–—— (1)/**XXIV-C-1/ 2020-01(06)/2018**, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल / जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–3 एवं वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

/128750/2023

संख्याः— 171 / XXIV-C-1/2023—01(03) / 2022

66

प्रेषक,

प्रशांत आर्य,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

Estb.

उच्च शिक्षा अनुभाग—1 देहरादून, दिनॉक 15 जून, 2023

विषयः—विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर वर्ग के सृजित पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—UOU/Estt/2021/55/9943, दिनांक 21.02.2022 एवं संख्या—UOU/R3/217/2023/854/1471, दिनांक 07.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय हेतु शिक्षणेत्तर वर्ग के सृजित पदों पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—204/XXVII(7)25(3)/2013 दिनांक 28.10.2016 एवं कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—90/XXX(2)/2016-30(5)/15 दिनांक 26.07.2016 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के वैयक्तिक सहायक संवर्ग एवं मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों पर निम्नलिखित तालिका 'अ' एवं तालिका 'ब' के अनुसार संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

तालिका—'अ'

क्र.सं.	पदनाम	विभिन्न शासनादेशों द्वारा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28.10.2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत स्वीकृत पद
1.	वैयक्तिक सहायक (आशुलिपिक ग्रेड—1)	04	29200—92300 लेवल—5	02
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	35400—112400 लेवल—6	02
3.	वैयक्तिक अधिकारी	——	44900—142400 लेवल—7	01
4.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	——	56100—177500 लेवल—10	——
	योग	05		05

634
21-6-23

/128750/2023 तालिका–'ब'

65

क. सं.	पदनाम	विभिन्न शासनादेशों द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 26.07.2016 द्वारा संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अन्तर्गत स्वीकृत पद
1.	कनिष्ठ सहायक	27	21700–69100 लेवल–3	10
2.	वरिष्ठ सहायक	02	29200–92300 लेवल–05	09
3.	प्रधान सहायक	—	35400–112400 लेवल–6	05
4.	प्रशासनिक अधिकारी	01	44900–142400 लेवल–7	02
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	47600–151100 लेवल–8	02
6.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	—	56100–177500 लेवल–10	02
	योग	30		30

3. संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के उपरान्त उक्त पर आने वाला व्ययभार संस्थान द्वारा स्वयं के संशाधनों/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से वहन किया जायेगा।

4. उक्त संशोधित स्टाफिंग पैटर्न को लागू करते समय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–316/XXVII(7)20-30(14)/2017 दिनांक 19.11.2020 तथा संख्या–87/XXVII(7)/2010, दिनांक 06.08.2021 का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त स्टाफिंग पैटर्न विश्वविद्यालय के नियमित कार्मिकों पर ही लागू होगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/128709/2023, दिनांक 08.06.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Prashant Kumar Arya
Date: 13-06-2023 17:08:17

(प्रशांत आर्य)
अपर सचिव।

संख्याः– 171 (1)/XXIV-C-1/2023–01(03)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. कुलपति/वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–03 एवं वित्त अनुभाग–07, उत्तराखण्ड शासन।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।

/128750/2023 9. गार्ड फाईल।

64

आज्ञा से,

Signed by Deepak Kumar
Date: 08-06-2023 17:39:42

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।